संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पांचवी मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल - 462004
मेल -nursing.dhs@mp.gov.in दूरभाष 0755-2527165

आवश्यक/ तत्काल/कोर्ट केस

क्रमांक :- 09/नर्सिंग/सेल-1/एस/एफ-46 /2020/ 896 भोपाल दिनॉक 5 /12/ 2020

// आदेश //

श्रीमती मंजरी तिवारी, स्टाफ नर्स, सिविल अस्पताल जबलपुर की विभागीय सीधी भर्ती हेतु एम.पी. आनलाइन से चयन उपरांत नर्सिंग सिस्टर के पद पर पदस्थापना संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के आदेश क्रमांक 1271 दिनॉक 17.10.2019 द्वारा सिविल अस्पताल, लांजी जिला बालाघाट की गई थी । श्रीमती मंजरी तिवारी, ने अपने पारिवारिक परेशानियों के दृष्टिगत पदस्थापना आदेश में संशोधन किये जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक डब्लू.पी. 10495 /2020 प्रस्तुत की जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दिनॉक **05.08.2020** को आदेश पारित किया गया जिसका आपरेटिंग पैरा इस प्रकार है :-

In view of the aforesaid, the writ petition is disposed of with direction that if petitioner prefers a comprehensive representation before the respondent no. 2 within seven working days, the respondent no. 2 shall consider and decide the said representation in accordance with law expeditiously preferably within 90 days and communicate the outcome to the petitioner

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनॉक 05.08.2020 के परिपालन में श्रीमती मंजरी तिवारी, स्टाफ नर्स, सिविल अस्पताल जबलपुर के द्वारा दिनॉक 08.08.2020 को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर लेख किया कि आवेदिका की सास एवं पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नही रहता है, आवेदिका का 3 वर्ष का छोटा बच्चा जबलपुर में अध्ययनरत है तथा आवेदिका के पति निजी अस्पताल जबलपुर में कार्यरत है।

माननीय न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में श्रीमती मंजरी तिवारी, स्टाफ नर्स, सिविल अस्पताल जबलपुर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में उल्लेखित तथ्यों के दृष्टिगत दिनॉक 24 सितम्बर 2020 को अपर संचालक नर्सिंग के समक्ष गुगल मीट पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया । श्रीमती मंजरी तिवारी, स्टाफ नर्स, ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि उनके माता पिता उनके साथ ही रहते है जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी उनकी है, उनके पति एक निजी अस्पताल में नौकरी करते है तथा उनका एक तीन साल का छोटा बच्चा है,आदि व्यक्तिगत परेशानियों के दृष्टिगत जिला जबलपुर में ही अपनी पदस्थापना किये जाने का अनुरोध किया है ।

5/12/2020

निरंतर -02

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर श्रीमती मंजरी तिवारी, स्टाफ नर्स, सिविल अस्पताल जबलपुर के पदस्थापना परिवर्तन संबंधी अभ्यावेदन विचारोपरांत मान्य करते हुए संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के आदेश क्रमांक 1271 दिनॉक 17.10.2019 द्वारा श्रीमती मंजरी तिवारी, स्टाफ नर्स, सिविल अस्पताल जबलपुर की नर्सिंग सिस्टर के पद पर सिविल अस्पताल, लांजी जिला बालाघाट की पदस्थापना परिवर्तन करते हुए सिविल अस्पताल सिहोरा जिला जबलपुर में विभागीय मापदण्ड अनुसार रिक्त नर्सिंग सिस्टर के पद पर की जाती है तथा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनॉक 08.08.2020 का विधिसम्मत निराकरण किया जाता है।

//अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं प.क. द्वारा अनुमोदित//

5/12

अपर संचालक (नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्रमांक 09/सेल-1/2020/ एफ-46/ 817 भोपाल, दिनॉक 5 /12 2020

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1 निज सचिव, अपर मुख्य सचिव,मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।

2 निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

3 माननीय महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, महाधिवक्ता कार्यालय, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर,म.प्र.

4 संचालक, लीगल, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश

5 क्षेत्रीय संचालक,लीगल, स्वास्थ्य सेवायें जबलपुर संभाग, जबलपुर मध्यप्रदेश

6 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बालाघाट / जबलपुर मध्यप्रदेश

7 सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकितसालय जिला बालाघाट / जबलपुर म.प्र.

8 जिला कोषालय अधिकारी, जिला बालाघाट / जबलपुर , मध्यप्रदेश

9 श्रीमती मंजरी तिवारी, स्टाफ नर्स, सिविल अस्पताल जबलपुर म.प्र.की ओर तत्काल पालनार्थ।

10 प्रभारी,एम.आई.एस संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, उक्त आदेश को विभागीय साइड पर अपलोड़ करें।

11 आदेश नस्ती ।

5/12

अपर संचालक (नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश